कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना।

नीलामी सूचना संख्या–01/2026–27

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल, अनीसाबाद, पटना के पत्रांक–100 दिनांक–04.04.2026 के निदेश एवं बिहार वित्त नियमावली के नियम 143 (i) (ख) के आलोक में आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना के कार्यालय में वर्षों से अनुपयोगी यंत्रों/संयत्रों/उपस्करों का सार्वजनिक नीलामी किया जाना है।

इन सामग्रियों का मूल्यांकण प्रतिवेदन के आधार पर सामूहिक नीलामी **"जैसे है उसी स्वरूप में"** के आधार पर दिनांक–25.05.2026 को 11.00 बजे **पूर्वाह्न** में आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना के कार्यालय में की जाएंगी, जिसकी विवरणी **निम्न प्रकार** है:–

क्रमांक	प्रमंडलाधीन अनुपयोगी यंत्रों/संयत्रों/उपस्करों का नाम एवं संख्या	नीलामी की न्यूनतम बोली (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	नीलामी की तिथि
1	2	3	4	5
1	प्रमंडलीय सूचनापट्ट एवं परिशिष्ट 1 में संलग्न सूची के अनुसार।	710.00	100.00	25.05.2026

इच्छुक फर्म/आवेदक कार्यालय अवधि में (रविवार **एवं अन्य** सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित अनुपयोगी यंत्रों/संयंत्रों/ **उपस्करों की** सूची देख सकते है अथवा **विभागीय बेवसाईट पर देखा जा सकता है।**

(डॉ० हिमांशु शेखर)
कार्यपालक अभियंता
आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना।
22/05/2026

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना।

नीलामी सूचना संख्या–01/2026–27

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल, अनीसाबाद, पटना के पत्रांक–100 दिनांक–04.04.2026 के निदेश एवं बिहार वित्त नियमावली के नियम 143 (i) (ख) के आलोक में आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना के कार्यालय में वर्षो से अनुपयोगी यंत्रों/संयत्रों/उपस्करों का सार्वजनिक नीलामी किया जाना है।

इन सामग्रियों का मूल्यांकण प्रतिवेदन के आधार पर सामूहिक नीलामी **"जैसे है उसी स्वरूप में"** के आधार पर दिनांक–25.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना के कार्यालय में की जाएगी, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	प्रमंडलाधीन अनुपयोगी यंत्रों/संयत्रों/उपस्करों का नाम एवं संख्या	नीलामी की न्यूनतम बोली (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	नीलामी की तिथि
1	2	3	4	5
1	प्रमंडलीय सूचनापट्ट एवं परिशिष्ट 1 में संलग्न सूची के अनुसार।	710.00	100.00	25.05.2026

नीलामी की शर्ते :–

1. इच्छुक फर्म/आवेदक दिनांक–18.05.2026 से दिनांक–23.05.2026 तक कार्यालय अवधि में (रविवार एवं अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित अनुपयोगी यंत्रों/संयंत्रों/ उपस्करों की सूची देख सकते है।
2. सभी यंत्र/संयंत्र/ उपस्कर "जहां है, जो भी है, **जैसे भी है**", के आधार पर नीलामी संपन्न होगी।
3. नीलामी में बोलीदाताओं की सुविधा हेतु नीलामी सामग्रियों की एकमुश्त बोली लगाई जाएगी एवं सुरक्षित जमा राशि एवं अन्य संबंधित कागजात जमा करना अनिवार्य होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को कॉलम संख्या 04 में अंकित अग्रधन की राशि दिनांक–23.05.2026 के अपराह्न 05.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना के कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। अग्रधन की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो Executive Engineer, Planning & Monitoring Division, Patna के नाम से भुगतेय होगा, जमा करने के पश्चात हीं नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन एवं सुरक्षित जमा राशि स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
6. आवेदक के आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 (अद्यतन) एवं घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
7. संलग्न घोषणा पत्र को परिशिष्ट 2 के अनुसार Affidavit रूप में समर्पित करना होगा।
8. नीलामी की प्रक्रिया में जल संसाधन विभाग या इससे संलग्न/अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी पदाधिकारी/कर्मी भाग नहीं लेंगे।

9. नीलाम मे सफलबोलीदाता को नीलामी के तुरंत पश्चात अपनी बोली का 25% (अग्रधन सहित) जमा करना अनिवार्य होगा।

10. नीलाम में सफल बोलीदाता को नीलामी के शेष राशि बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अगले तीन दिनों के अंदर कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा सामग्रियों का विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। उक्त अवधि के अंतर्गत नीलामी की राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन एवं ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी। इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

11. सफल बोलीदाता को अपनी लागत और जिम्मेदारी पर सात दिनों के अंदर सामग्रियों का उठाव कर लेना होगा अन्यथा इसकी विभाग की जवाबदेही नहीं होगी।

12. कार्य दिवस में नीलामी योग्य सामग्रियों का अवलोकन एवं अन्य जानकारी हेतु कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना से संपर्क किया जा सकता है।

13. बिना कारण बताये किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

14. सफल बोलीदाता को अपने व्यय पर सामग्री का उठाव एवं परिसर का साफ–सफाई करना होगा।

15. असफल बोलीदाता को नीलामी के सात दिनों के बाद आगामी कार्य दिवस में सुरक्षित जमा राशि वापस किया जाएगा।

16. उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली का 18% GST अतिरिक्त जमा करना होगा।

ह०/-
(डॉ० हिमांशु शेखर)
कार्यपालक अभियंता
आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना।

पत्रांक 163 / पटना, दिनांक 02/05/2026/

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

(डॉ० हिमांशु शेखर)
कार्यपालक अभियंता
आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना।

02/05/2026

परिशिष्ट–1

अनुपयोगी यंत्रों/संयंत्रों/उपस्करों की नीलामी प्रपत्र

क्रमांक	यंत्र/संयंत्र/उपस्कर का विवरण	यंत्र/संयंत्र/उपस्कर की संख्या/वजन
1	हिटर	1 अदद
2	टाईप राईटर मशीन	1 अदद
3	स्टील अलमीरा छोटा साईज	2 अदद
4	लकड़ी का टेबल	1 अदद
5	गोदरेज का कुर्सी	2 अदद
6	लकड़ी का कुर्सी	1 अदद
7	लकड़ी का पायदान	03 अदद
8	UPS (Numeric)	1 अदद
9	पंखा	1 अदद

7/5/26

(ई0 हिमांशु शेखर)
कार्यपालक अभियंता
आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना।

07/05/2026

घोषणा पत्र

1. मैं ....शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि मैं जल संसाधन विभाग के किसी विभाग के किसी कार्यालय में सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी नहीं हूँ।
2. मैं घोषित करता हूँ कि मैं किसी भी वाद में सजायफ्ता नहीं हूँ एवं मेरे उपर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है।
3. मैं नीलामी के सभी नियमों एवं शर्तो को पूर्ण करता हूँ। यदि मैं नीलामी में सफल होता हूँ तो 03 (तीन) दिनों के अंदर बोली की संपूर्ण राशि जमा कर परिसर से निलामी की सामग्रियों का उठाव बिना किसी प्रकार के नुकसान के साफ–सुथरे तरीके से कर लूँगा।
4. यह कि मेरा कथन सत्य एवं सही है तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर मेरे उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।